# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : अशोक शिवहरे**

सदस्य

निगरानी प्र0क0 552–चार/ 2004 विरूध्द आदेश दिनांक 01–01–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्र0 क0 225/2002–03/अपील.

अशोक कुमार शर्मा आत्मज श्री नाथूलाल शर्मा
निवासी पचोर परगना सारंगपुर
जिला राजगढ़, म0प्र0

---- आवेदक

विरूध्द

म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा

---- अनावेदक

– – –

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक – आवेदक
श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

– – –

## आदेश

(आज दिनाक 24 जून 2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्र0 क0 225/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 01–01–2004 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी ह0नं0 43 ने नायब तहसीलदार पचौर को इस आशय का प्रतिवेदन पेश कि कि आवेदक द्वारा ग्राम पचोर परगना सारंगपुर जिला राजगढ स्थित भूमि खसरा कं 1292 रकबा 0.316 है. में 1380 वर्ग फीट भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान का निर्माण कर रहा है। नायब तहसीलदार ने जांच

उपरांत अपने आदेश दिनांक 24–7–2001 द्वारा आवेदक को अतिक्रामक मानते हुये अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर को भेजा। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13–1–2013 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 01–01–2014 द्वारा सारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–7–2001 में उन्होंने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 क अन्तर्गत मात्र 1500/– रूपये के अर्थदण्ड के अधिकार होनशे से धारा 248(2) के तहत कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सांरगपुर को अग्रेसित किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि नायब तहसीलदार के उपरोक्त प्रस्ताव/आदेश दिनांक 24–7–2001 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में वापस पहुंचेगा तब प्रकरण में नायब तहसीलदार के प्रस्ताव/आदेश पर कार्यवाही होगी जिसपर आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश पारित किया जायेगा। आवेदक अभिभाषक का कहना है कि उपरोक्त कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6/अ–68/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 13–1–2003 एवं अपर आयुक्त का प्रकरण कमांक 225/2002–03/अपील में पारित आदश दिनांक 01 01 2004 के आदेशों का प्रभाव न पडे। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करते हुये न्यायहित में प्रकरण में आवेदक अभिभाषक का तर्कों से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी सांरगपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों अपीलीय न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश को प्रभाव में लिये बिना नायब तहसीलदार के

2552अ/04

उपरोक्त प्रस्ताव / आदेश पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्तानुसार प्रकरण का निराकरण किया जाता है। निगरानी निर्देश के साथ समाप्त की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर